

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्ददाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

आसीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
करण संख्या :- 206/2024
व पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

1. बुटासिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति रामदासिया साकिन वार्ड नं. 25 रवि दास बस्ती संगरिया
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

2. महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति रामदासिया साकिन शिव कुटीया के पास, वार्ड नं. 7 पुरानी
हनुमानगढ़ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।



बनाम्

-वादीगण

1. अमृतपाल पुत्र नक्षत्र सिंह जाति रामदासिया साकिन वार्ड नं. 16 संगरिया तह.संगरिया।
2. कर्मजीत कौर पत्नी जगदेव सिंह जाति रामदासिया साकिन संगरिया तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़, हाल साकिन कन्टेवा पट्टोल पम्प हनुमानगढ़।
3. गुरदीप कौर उर्म सुखजीत कौर पत्नी सिंगारा सिंह जाति रामदासिया साकिन गांव बांडी तहसील
व जिला बठिण्डा (पंजाब)।
4. परमजीत कौर पत्नी मुख्तार सिंह जाति रामदासिया साकिन रासुवाला तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़।
5. मिताकौर उर्म मनजीत कौर पत्नी बलदेव सिंह पुत्री तेजाकौर जाति रामदासिया साकिन गांव बड़ा
गुड़डा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)।
6. वीरपाल कौर कुलविन्द्र कौर पत्नी दर्शन सिंह पुत्री तेजाकौर जाति रामदासिया साकिन मोहल्ला
तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. सर्वजीत कौर उर्फ जसविन्द्र कौर पत्नी पाला सिंह पुत्री तेजाकौर जाति रामदासिया साकिन गांव
तलोकेवाला तहसील कालावाली जिला सिरसा (हरियाणा)।
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 8-9-2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल
कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री रामनिवास बेदी वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री संजीव बिश्नोई
वकील प्रतिवादी संख्या 1,5,6,7 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव
तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती
है:-

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

काशतकार मय एवं सकूनत	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा
1 अमृत पाल पुत्र नक्षत्र सिंह 0.050	प.म. संगरिया के एनटीडब्ल्यू-ए के खाता सं. 6/8 खाते का योग- 0.506 हि. (विवादित श्रेणी का नहीं है)	बूटा सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया	प.न. 189/163 मु.न. 26 का कि.न. 7/0.127 हि. कुल-0.127 हेक्.
2 तेज कौर पत्नि सिंह बहिब 0.042		महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति रामदासिया निवासी हनुमानगढ	प.न. 189/163 मु.न. 26 का कि.न. 7/0.126 हि. कुल-0.126 हेक्.
3 कर्मजीत कौर जगदेव सिंह 0.042		अमृत पाल पुत्र नक्षत्र सिंह, तेज कौर पत्नि नक्षत्र सिंह (तेज कौर फौत) जाति रामदासिया निवासी संगरिया मिता कौर पत्नि बलदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी बड़ा गुडा तह. सिरसा, वीरपाल कौर पत्नि दर्शन सिंह जाति रामदासिया निवासी मोहल्ला तह. करणपुर सर्वजीत कौर पत्नि पाला सिंह बहिब जाति रामदासिया निवासी तलोकेवाला निवासी कालावाली सिरसा	प.न. 189/163 मु.न. 26 का कि.न. 14/0.127 हि. कुल-0.127 हेक्.
4 गुरदीप कौर पत्नि सिंह 0.042 हि.		कर्मजीत कौर पत्नि जगदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी हनुमानगढ गुरदीप कौर पत्नि सिंगारा सिंह जाति रामदासिया निवासी बांडी तह. बठिण्डा परमजीत कौर पत्नि मुख्तयार सिंह बहिब जाति रामदासिया निवासी रासूवाला	प.न. 189/163 मु.न. 26 का कि.न. 14/0.126 हि. कुल-0.126 हेक्.
5 परमजीत कौर पत्नि मुख्तयार 0.042 हि. 6			
6 सिंह पुत्र बलवन्त 0.127 हि. 7 महेन्द्र पुत्र करनैल सिंह 0.042 हि. 8 मिता कौर पत्नि बलदेव सिंह 0.025			
7 वीरपाल कौर पत्नि र्शन सिंह 0.026 हि. 10			
8 सर्वजीत कौर पत्नि पाला सिंह 0.026 हि. जाति रामदासिया			



अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/3078 दिनांक 28.07.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋग्णि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट:-तहसीलदार संगरिया ने अपने विभाजन प्रस्ताव में तेजकौर को फौत होना तथा इनके वारिसानों का कब्जा काशत होना बताया है इसलिए तहसीलदार संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार तेजकौर के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तथा प्रतिवादी संख्या 5 मिताकौर उर्फ मनजीत कौर व प्रतिवादी संख्या 6 वीरपाल कौर उर्फ कुलविन्द्र कौर एवं प्रतिवादी संख्या 7 सर्वजीत कौर उर्फ जसविन्द्र कौर ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया है।

निज..........मुब्लिक..........बाबत..........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्ताखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....2.9.2025.....को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपसूचना अधिकारी
 संगरिया